



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक:- 28/12/2025

विषय:- थाना लंका पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 04 राशि गोवंश व 01

पिकप वाहन बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट/अपहरण/सट्टेबाजी/जुआ की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थों/पशु तस्करी के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना लंका के नेतृत्व में दिनांक 27.12.2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय पशु तस्कर 1. राजू पाण्डेय पुत्र रामलोचन पाण्डेय नि0- भदेसर ईचौली थाना मंझनपुर जिला कौशाम्बी उम्र करीब 40 वर्ष 2. तीरथ कुमार सिंह पुत्र भीम सिंह नि0- भोखरी थाना मोहनिया जिला भभूआ बिहार उम्र करीब 26 वर्ष को लौटूबीर अण्डरपास से कुछ आगे मलहिया से सर्विस लेन के पास से गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लंका पर मु0अ0सं0- 0544/2025 धारा- 3/5 (A) / 5 (B) /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. राजू पाण्डेय पुत्र रामलोचन पाण्डेय नि0- भदेसर ईचौली थाना मंझनपुर जिला कौशाम्बी उम्र करीब 40 वर्ष ।
2. तीरथ कुमार सिंह पुत्र भीम सिंह नि0- भोखरी थाना मोहनिया जिला भभूआ बिहार उम्र करीब 26 वर्ष ।

घटना का विवरण – दिनांक:- 27.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना लंका पुलिस टीम द्वारा गो तस्करी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर 1. राजू पाण्डेय पुत्र रामलोचन पाण्डेय नि0- भदेसर ईचौली थाना मंझनपुर जिला कौशाम्बी उम्र करीब 40 वर्ष 2. तीरथ कुमार सिंह पुत्र भीम सिंह नि0- भोखरी थाना मोहनिया जिला भभूआ बिहार उम्र करीब 26 वर्ष को लौटूबीर अण्डरपास से कुछ आगे मलहिया से सर्विस लेन के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना लंका पर मु0अ0सं0- 0544/2025 धारा- 3/5 (A) / 5 (B) /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0- 0544/2025 धारा- 3/5 (A) / 5 (B) /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी पर पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान - दिनांक 27.12.2025 को, स्थान- लौटूबीर अण्डरपास से कुछ आगे मलहिया से सर्विस लेन के पास से ।

बरामदगी विवरण – बरामदगी 04 राशि गोवंश जिसमें सभी गाय जिन्दा हैं व 01 पिकअप वाहन अशोका लिलैण्ड, ग्रे कलर, वाहन नम्बर UP73T0867

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 गौरव कुमार चौकी प्रभारी रमना, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी

3. उ0नि0 राहुल जायसवाल, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी
4. का0 रामबाबू मिश्रा, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 कमलेश राजभर, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी
6. का0 हृदय कुमार थाना, लंका कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 कमल कुमार थाना, लंका कमिश्नरेट वाराणसी
8. का0 आशीष तिवारी, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी
9. का0 अमित कुमार शुक्ला, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी
10. का0 पवन कुमार, थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी